


18/8  
25

पत्रावली पेश। प्रार्थी व वकील प्रार्थी  
को बार-बार आवाज लगाई गई।  
बार-बार आवाज लगाने के पश्चात  
भी प्रार्थी व वकील प्रार्थी न्यायालय  
में हाजिर नहीं आये। अतः प्रार्थी  
का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212  
RTI अधिनियम हाजरी अधिनियम में  
स्वीकार किया जाता है पत्रावली फ़ैसल  
संख्या 1000 नम्बर से कम होकर  
दाखल पत्र हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
बंदाशामगढ़